न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 22/2018
3. उनवान : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर ।

–प्रार्थी

बनाम

1. रामनारायण पुत्र झूंथा राम
2. बलदेव पुत्र झूंथा
3. मोहन पुत्र काना
4. लादू पुत्र काना
5. हीरा लाल पुत्र काना
6. जोधा पुत्र काना
7. लालू पुत्र काना
8. छोटू पुत्र काना

समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम आसलपुर तहसील फुलेरा मु0 सांभर जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 24/6/25
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 व धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा हाल तहसील जोबनेर द्वारा न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सेटलमैन्ट खतौनी ग्राम आसलपुर तहसील फुलेरा सम्वत 2011–2029 के आराजी खसरा नम्बर 820 रकबा 10 बिस्वा किस्म गै. मु. नला सिवाय चक बिना लगानी अंकित हैं उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2062 में रामनारायण पु[illegible]राम हिस्सा 1/6, बलदेव पुत्र झूथा हिस्सा 1/3, मोहन लादू, हीरालाल, जोधा, लालू छोटू पिता. काना हिस्सा 1/2 के नाम खाता संख्या 390 खसरा नम्बर 820 रकबा 10 बिस्वा किस्म चाही तृतीय दर्ज है। उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 167 से झूथा व काना पुत्र मवाना जाति कुम्हार निवासी आसलपुर को जरिये आवंटन दिनांक 5.10.1967 के द्वारा दर्ज है। उक्त भूमि मुताबिक सेटलमैन्ट खतौनी गै. मु. नला दर्ज थी! जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई, जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्धभूत नहीं होते है। डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त खातेदारी निरस्त करने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

अन्त में प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को स्वीकार फरमाकर वर्णित भूमि को राजकीय घोषित करते हुए किस्म भूमि पूर्वानुसार किये जाने का निवेदन किया गया है।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

सरकार बनाम रामनारायण

22/2018

प्रार्थना पत्र के संलग्न खतौनी जमाबंदी संवत 2059 से 2062, खसरा गिरदावरी 2059 से 2062 तथा नामान्तकरण संख्या 167 एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति पेश की है।

उक्त रेफरेन्स प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चतुर्थ, जयपुर द्वारा दिनांक 30.12.2005 को निर्णय पारित कर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार फुलेरा को निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2013 द्वारा प्रकरण में पुनः परीक्षण कर यादि आवश्यक हो तो स्पष्ट राय के साथ मय संबंन्धित दस्तावेजात के नवीनतः रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा को इस न्यायालय द्वारा तहरीर जारी की गई।

पत्रावली लम्बे समय से विचाराधीन है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश करने वाले प्रार्थी तहसीलदार की जिम्मेदारी भी बनती है कि यदि उनकी ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2013 की पालना में प्रकरण का पुनः परीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित करना अपेक्षित है। साथ ही रेफरेन्स में आवंटन आदेश की प्रति संलग्न नही की है तथा प्रस्तुत रेफरेन्स में ग्राम आसलपुर के खसरा नम्बर 820 की किस्म गै0मु0 नला बताया गया है। किन्तु संलग्न खतौनी जमांबदी संवत् 2059 से 2062 में खसरा नम्बर 820 में किस्म गै0मु0 खडडा अंकित है, जो विरोधाभासी है।

अतः प्रार्थी के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2013 की पालना में प्रकरण का पुनः परीक्षण करें, यदि उचित समझे तो अप्रार्थी की सम्पूर्ण वल्दियत पता, आवंटन आदेश आदि के साथ नियमानुसार रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 24/6/25 सरे इजलास सुनाया गया। बाद निर्णय पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर